HON. SPEAKER : Now, Hon. Prime Minister.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं सबसे पहले राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से न सिर्फ सदन को बल्कि देश और दुनिया को भारत का गौरव, भारत की गरिमा, भारत की उत्तम विकास यात्रा और विश्व की भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत के सामान्य मानव की जो अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने के प्रयास का विस्तार से बयान आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन की इस महत्वपूर्ण चर्चा में कई आदरणीय सदस्यों ने अपने अनुभव और विचारों से इस सदन और देश को लाभ पहुंचाया है। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री वैंकैय्या नायडू जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमती हरसिमरत कौर जी, श्री पी.नागराजन जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी, श्री मोहम्मद सलीम जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री रिजीजू जी और श्री ओवैसी जी तथा कई अन्य वरिष्ठ आरदणीय महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इस विचार को, इस चर्चा को सशक्त बनाने में अपना योगदान किया है। आज, मैं सदन में सभी सांसदों की तरफ से स्पीकर महोदया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण में संसद की कार्यवाही किस रूप में चलनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं व्यक्त की गयी हैं। यह अच्छी बात है कि हमें अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े पद पर हैं और उनकी सलाह हमें अवश्य माननी चाहिए।

मैं विशेष रूप से स्पीकर महोदया का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने कई नये इनीशियेटिव्स लिये हैं। उन्होंने SRI योजना, यानी स्पीकर रिसर्च इनीशियेटिव योजना प्रस्तुत की है। उसमें हम सभी सांसदों को अलग-अलग विषयों पर रिसर्च मैटीरियल मिले। हम लोगों का प्रबोधन हो, एक अच्छा प्रकल्प आपके द्वारा चल रहा है और वह संसद को क्वालिटेटिव चेंज लाने में उपयोगी होगा। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अध्यक्ष महोदया का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अगले 5 और 6 मार्च को पूरे देश की इलैक्टेड वूमैन मैम्बर्स, असेम्बली एंड लोक सभा की वूमैन मैम्बर्स की एक सर्वदलीय सम्मेलन की घोषणा की है, योजना की है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी समेत सभी महिला लीडर्स का उसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। वूमैन इम्पावरमैंट की दिशा में, डिसीजन मेकिंग प्रौसैस में महिलाओं की

भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में यह आपका एक अहम कदम है और मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की संसदीय गतिविधि के साथ आपने एक अच्छा कदम उठाया है और सभी दलों ने सहयोग किया है। सबसे बड़ी बात है कि सभी दलों की वूमैन सांसद मिलकर इसकी कार्य योजना बना रही हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल तैयार हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार से बीपीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारे जो नये सांसद चुनकर आये हैं, उनके लगातार प्रशिक्षण में भी काफी अच्छा काम आपके द्वारा हुआ है। ओरियेन्टेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हू।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन बहस के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों सदन में जो हुआ, उससे देश बहुत पीड़ित भी है, चिंतित भी है। जब सदन नहीं चलता है तब सत्ता पक्ष का नुकसान बहुत कम होता है, देश का नुकसान बहुत होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है और उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों न हों, कितनी ही नाराजगी क्यों न हो, लेकिन वह प्रकट होना आवश्यक है। सदन एक ऐसा फोरम है, जहां तर्क रखे जाते हैं। जहां तीखे जवाब दिये जाते हैं। यह एक ऐसा फोरम है, जहां सरकार पर सवाल किये जाते हैं। यह एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे, तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पायेंगे और साथ ही साख भी बना पायेंगे। यह उपदेश नरेन्द्र मोदी का नहीं है, यह भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमान् राजीव गांधी जी का है। महामहिम राष्ट्रपति जी की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लंबे अर्से तक इस प्रक्रिया में भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं, और उन लोगों के साथ बिताए हैं जिनसे ज्यादा अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है।

महोदया, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं सदन में मौजूद सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्यौता देता हूं। जब मैं इस सदन कहता हूं, मतलब दोनों सदन। यह बिल लोगों के लिए है। यह बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके, यह बिल इसलिए है ताकि ज़मीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सकें, यह बिल इसलिए है ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके, यह बिल इसलिए है ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके, यह बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद की मदद करने के लिए है। यह नरेन्द्र मोदी नहीं कह रहा, यह भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी ने कहा था और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गुस्सा नहीं करते।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, सदन को रोकने के संबंध में कुछ बातों की चर्चा जरूरी लगती है। हमारे भूतपूर्व स्पीकर और यहां कुछ महानुभाव है, जिनके वह गाइडेंस फिलासॉफर लंबे अर्से तक रहे हैं, श्रीमान सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा है कि ऐसे मुद्दों पर, जिनके बारे में धारणा होती है कि वे महत्वपूर्ण हैं, सदन की बैठकों को रोकना पूरी तरह काउंटर प्रोडक्टिव है। दुर्भाग्य से राजैनतिक दलों में यह विचार पनपा है कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने और अंततः संसद को समय से पहले स्थगित करा देने से उस विषय का या मुद्दे का महत्व साबित हो जाएगा, जिस पर विभिन्न पार्टियां विरोध कर रही हैं। संसद के कार्यों को बाधित करने को अगर देश के लोगों के खिलाफ युद्ध जैसा नहीं भी मानें तो कम से कम संसदीय प्रणाली में आस्था की कमी को मानना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से लगभग सभी राजनीतिक दल और यहां तक कि जो छोटे दल हैं, उनका भी ऐसा ही विश्वास और नज़रिया दिखाई दे रहा है। यह चिंता श्रीमान सोमनाथ जी ने भी सभी सदस्यों के सामने प्रकट की है।

मैं एक और बात आज कहना चाहता हूं सदन चलने के संबंध में, यहां हम संसद में, जो भारत की सोवेरन अथारिटी है, भारत के शासन की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, निश्चित रूप से इस सोवेरन बॉडी का सदस्य होने से बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इस देश की विशाल जनसंख्या की नीयती के लिए जिम्मेदार है यह सदन। हम में से सभी को अगर हमेशा नहीं तो जीवन में कभी न कभी जिम्मेदारी का यह बड़ा एहसास जरूर हुआ होगा और जिस डैस्टिनी के लिए हमें बुलाया गया है, उसे हमने जरूर महसूस किया होगा। हम इस योग्य हैं या नहीं, वह अलग मामला है। अत: इन पांच वर्षों के दौरान हम अपने कार्यों में न केवल इतिहास के किनारे खड़े रहें बल्कि कभी कभी हम इतिहास बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। यह बात सांसदों के संबंध में इतनी ऊंची कल्पना हमारे प्रथम प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 1957 में व्यक्त की थी। तब तो हममें से कोई नहीं था।...(व्यवधान) हममें से और हमारे दल का कोई नहीं था। उस समय यह बात आपने कही थी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह देश को जानना जरूरी है। इसी लोक सभा में हो-हल्ले के बीच, आपकी दृढ़ता के कारण, आपके उच्च्व मनोबल के कारण कुछ बिल पास हुए लेकिन वे आगे नहीं पहुंच पाए। नेशनल वॉटर वेज बिल- हमारे यहां जनशक्ति का कितना सामर्थ्य है, कितना उपयोग है, पानी बह रहा है, उसके लिए सरकार एक योजना लेकर काम करना चाहती है। उसको रोककर, देश का क्या भला कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है, उसी प्रकार से विसिल

ब्लोअर प्रोटैक्शन अमेंडमेंट बिल, ये वे विषय हैं जो हम सिटिजन सेंट्रिक कह सकें, हम जागरूक नागरिकों के अधिकारों की बात कह सकें और इसलिए उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नज़र नहीं आता।

इसी प्रकार से जी.एस.टी. के लिए हम कल से सुन रहे हैं, यह तो हमारा है, यह तो हमारा है। ये भी तो आपका ही है। जी.एस.टी. बिल आप ही का है।...(व्यवधान) उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटैक्शन बिल- कौन कंज्यूमर हैं? उसे रोका गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। हम सोचें, राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे और जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों के सामने मेरे कुछ विचार रखना चाह रहा हूं। पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं- एक प्रधान मंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए लेकिन हो सकता है कि शायद ये चीजें काम आ जाएं।...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : आपकी कथनी और करनी में अन्तर बहुत है न।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : धन्यवाद। मुझे 14 साल से बहुत प्रमाण-पत्र मिल रहे हैं। एक और सही।...(व्यवधान) मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुकाकर आपका आदर करता हूं। मेरा एक सुझाव है। आपने 5 और 6 मार्च को तो एक कार्यक्रम की रचना की है। इस बार 8 मार्च को हमारा सदन जब चलता होगा, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस दिन का 8 मार्च का जो एजेंडा है, वह वही रहे। लेकिन क्या हम तय कर सकते हैं कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वूमैन मैम्बर्स ही बोलेंगे।...(व्यवधान) यह कहा जाता है कि हमारे समय ऐसा था, आपके समय ऐसा है। आप ऐसे हैं और हम वैसे थे। आज देश को हमारे विषय में सब कुछ पता है।...(व्यवधान) हम सब कौन हैं, कहां खड़े हैं और क्या सोचते हैं यह सारा देश जानता है। मैं सभी वरिष्ठ महानुभावों से मार्गदर्शन चाहूंगा कि क्या हम वर्ष में दो सत्र तय करें या एक सत्र तय करें और उस सत्र के दौरान एक सप्ताह ऐसा हो, जिसमें फर्स्ट टाइमर एमपीज़ को ही बोलने के लिए निमंत्रित किया जाए। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सदन में विचारों की ताजगी भरी हवा की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एमपीज़ नए प्रोग्राम्स में जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि उन्हें अवसर देना चाहिए। नए एमपीज देश के लिए बहुत-सी नई चीजें हमारे सामने रख सकते हैं और उन विचारों पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं।...(व्यवधान)

मेरा एक और सुझाव है कि हमारे यहां युनाइटेड नेशन्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे विश्व के देशों ने मिलकर तय किया है। हमारी नेता सुषमा जी ने उसके लिए हिंदी में बहुत ही अच्छा शब्द " टिकाऊ विकास लक्ष्य " दिया है। यह तय होता है, सरकारें जाती हैं और अपना व्यू रखती हैं। क्या कभी सदन

के सभी लोग शनिवार को एक दिन ज्यादा बैठने का काम कर सकता है? एक सत्र के दौरान एक या दो दिवस हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय हुआ है, उसमें भारत की जो भूमिका है, उसे चरितार्थ करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह बात सही है कि हमारे अपने एजेंडा के बहुत-से काम हैं, लेकिन कोई पल होना चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई राजनीति न हो, सिर्फ राष्ट्रनीति, सिर्फ मानवतावाद को लेकर कुछ किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में जरूर सोचा जाएगा।

इसी तरह से मैं तीन और बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार यह हो या सरकार वह हो, लेकिन यह बात हमें माननी पड़ेगी कि भले ही शिक्षा राज्यों का विषय हो लेकिन हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही पीड़ा का विषय है। अगर हम देश के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? इसी तरह से हम पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, कॉप-21 पर काम करें लेकिन पानी का विषय हमारे सामने बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का काम है। इसी तरह से एक विषय है, जिससे हम सभी डरते हैं और उससे डरने का कारण भी है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं और हम सब यह बोलते हैं कि न्याय में विलम्ब न्याय न देने के बराबर है। आज भी हमारी निचली अदालतों में बहुत-से केसिस पेंडिंग पड़े हैं। क्या हम कभी सदन में बैठ कर इस समस्या को हल करने के रास्ते पर या इस समस्या से उभरने के उपाय सोचने पर चर्चा कर सकते हैं। हम इस तरह के एक-दो विषयों पर चर्चा तय करें और छह महीने पहले तय करें। हम एक्सपर्ट लोगों की राय लें और यह देखें कि क्या हम क्वालीटेटिव बहस करके उसमें से कोई एक्शनेबल प्वायंट्स निकाल सकते हैं और वे प्वायंट्स सदन की मालिकी होगी, किसी सरकार की नहीं होगी।

सरकार का गौरव-गान करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस सदन में, यहाँ भी बहुत-से अनुभवी लोग बैठे हैं। इसलिए एक ऐसा सामूहिक चिन्तन हो, मुझे मालूम है कि श्री सत्पथी जी ने पिछली बार एक अच्छा विषय रखा था कि क्यों न एक दिन सदस्यों के लिए हो। मैं उसी बात को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे मन में यह मूल विचार तब आया था, जब मैंने श्री सत्पथी जी का भाषण सुना था। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर हम इन चीजों को कर सकें, तो शायद यह होगा।

कभी-कभी सदन को रोकने के संबंध में या हो-हल्ला करके काम में रुकावट डालने से एक सार्वजनिक चर्चा होती है। उसमें यह होता है, हम लोग कहते हैं कि देखो सरकार को काम नहीं करने देते हैं, वे कहेंगे कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। किसी को लगता है कि देखो, हमने हमारी ताकत दिखा दी। भले हम कम हैं, लेकिन हम हैं। यह सब चल रहा है। लेकिन एक और बात है, जिस पर ध्यान जाने की आवश्यकता है। यह सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, बल्कि

एक इंफिरियरिटी कंप्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता है। ...(व्यवधान) क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद हैं, ऐसे तेज़स्वी सांसद हैं, और मैं मानता हूँ कि उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा, तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वे बोलेंगे, तो उनकी जय-जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा, यह चिन्ता सता रही है। यह इंफिरियरिटी है। विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाएं, विपक्ष के प्रतिभावान सांसदों का परिचय देश को न हो, इसलिए सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार नहीं दिखना चाहिए, इस इंफिरियरिटी कंप्लेक्स का परिणाम है। इस बार संसद चला तो मैंने देखा कि कितने तेज़स्वी लोग हमारे पास हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं, पिछले दो सदनों में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत आवश्यक है। मैंने देखा है, लोग बहुत स्टडी करके आते हैं। विपक्ष के छोटे-छोटे दल के सदस्य हैं, जिनके चार मेम्बर्स होंगे, तीन मेम्बर्स होंगे। कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।

जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में कुछ बातें अच्छी लगती हैं। हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन हम "मेक इन इंडिया" का मजाक उड़ा रहे हैं। "मेक इन इंडिया" देश के लिए है। हाँ, यदि यह सफल नहीं हुआ, तो इसे सफल करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सफल होने में क्या कमियाँ हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की ऐसी इमेज़ बनाते हैं, जैसे हम भीख का कटोरा लेकर निकले हों और जब हम खुद ऐसा कहते हैं, तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चीखकर कहते हैं और ज्यादा मज़बूती से कहते हैं।

वर्ष 1974 में इन्द्रप्रस्थ कॉलेज में इंदिरा जी ने यह भाषण दिया था।...(व्यवधान) इसलिए यह भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाएं, नए तरीके से लाएं, तो कुछ लोगों को, उम्र तो बढ़ती है, लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है और कुछ लोग समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए अच्छा लगता है कि विरोध करें तो वे विरोध करने का अपना तरीका ढूंढते रहते हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं।

> "हमारे देश में बहुत सी दिक्कतें हैं। ज्यादातर ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं - गरीबी, पिछड़ापन, अन्धविश्वास, कुछ गलत परम्पराएं, कुछ समस्याएं विकास और तरक्की के साथ भी आई हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहे बदलाव का विरोध। यह विरोध पढ़ा-लिखा तबका भी बहुत मुखर तरीके से करता है। जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है, सौ कारण बताए जाने लगते हैं कि यह काम क्यों नहीं करना

चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत और ऊंची दीवार ने हम सबको चारों तरफ से घेरकर रखा है।"

कितनी सटीक बात है। यह बात वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी ने कही थी।...(व्यवधान) यहां पर कोई भी बात आई तो यह कहा जाता है कि यह तो हमारे समय का है, हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की देन हैं। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते। यह तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने चार लाख टॉयलेट बनाए। यह आप ही की तो देन है। ...(व्यवधान)

बांग्लादेश की सीमा का विवाद इतने दशकों के बाद सुलझा। आप कह सकते हैं कि देखो, अगर हमने हमारे कार्यकाल में ऐसा कर दिया होता तो मोदी यह तुम्हारा एचीवमेंट कैसे होता, यह तुम्हारे लिए हम छोड़कर गए थे। यह आप ही की तो देन है। ...(व्यवधान) 18 हजार गांव...(व्यवधान) 18 हजार गांव आजादी के इतने सालों बाद भी अंधेरे में डूबे हुए हों और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाएं तो आप गर्व से कह सकते हैं कि मोदी जी, ये 18 हजार गांव हमारी ही देन हैं, तभी तो आप कर रहे हो।...(व्यवधान) इसलिए यह आपकी ही देन है, इसमें मैं कोई इनकार नहीं कर सकता और 60 साल के बाद आपके ही कारोबार का यह परिणाम रहा है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए कभी-कभी बड़े-बड़े गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा होती है। मनरेगा की चर्चा होती है, तो मैं ज़रा कहना चाहता हूं कि इसका इतिहास 50 साल पुराना है। लेकिन उसके पहले भी राजे-रजवाड़ों के ज़माने में भी कुछ न कुछ ऐसी बातें चलती थीं।

आप देखिए, महाराष्ट्र की रोज़गार गारंटी योजना, 1972 में आई। सन् 1980 में नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट प्रोग्राम, एन.आर.ई.पी., का इनकारनेशन हुआ। सन् 1983 में रूरल लैंडलैस इम्प्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम, आर.एल.ई.जी.पी., ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम आया। ये सब इनकारनेशन होते गए। योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोज़गार योजना, जे.आर.वाई., यह मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। मैं हैरान हूं कि बाद में जवाहर लाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला। उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 में इम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम, इ.ए.एस., सुनिश्चित रोज़गार योजना, आई।

उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई। उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छी थीं, उन्हें ले-लेकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, एस.जी.आर.वाई. शुरू हुई। सन् 2004 में फिर उसमें री-

इनकारनेशन हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मनरेगा, पहले नरेगा, फिर एक नया ज्ञान हुआ तो वह मनरेगा बना।

इस तरह गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही हैं। यह बात सही है कि आप बड़े सीना तान कर कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि हम कौन हैं। हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी हैं, मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। यह बात सही है कि मुझे यह बात यहां आने के बाद पता चली कि इतनी जड़ें जमाई हैं आपने। इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। यह हमारी सफलता का स्मारक नहीं है, यह हम सबको स्वीकार करना होगा।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Prime Minister.

… (*Interruptions*)… *

श्री नरेन्द्र मोदी: इसलिए यह हमारा दायित्व भी बनता है कि यह जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसे और अच्छा बनाएं। और उस जिम्मेदारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत में देश को लाए हैं कि ईवन स्किल्ड लेबर को भी अनस्किल्ड होने में अच्छा लगने लगा है। इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह सच्चाई है और मैंने आकर के देखा है कि गरीबी की जड़ों को ऐसा जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है और उसके लिए फिलहाल जो योजना चल रही है, उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं इससे थाउज़ेन्ड परसेंट सहमत हूं। मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। आप वर्ष 2012 की सीएजी की रिपोर्ट को देख लीजिए। उसमें क्या ऑब्जर्वेशन्स किए गए हैं? कैसे भ्रष्टाचार ने इसके साथ जड़े जमा ली हैं? कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं? इस सबकी वर्ष 2012 की सीएजी रिपोर्ट में चर्चा है। इसलिए हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इस सीखने के प्रयास के तहत उसमें जो चीजें

* Not recorded.

थीं, उनको बाहर निकालकर के उसको फूलप्रूफ कैसे बनाया जाए, जरूरतमंदों को कैसे मिले, उस पर काम करेंगे। सीएजी ने एक बहुत बड़ा ऑब्ज़र्वेशन किया है और वह चौंकाने वाला है। हमारे देश में जिन राज्यों को हम गरीबों की श्रेणी में गिनते हैं, जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सीएजी ने लिखा है कि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या कम है और कुल-मिलाकर के शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से चली है, ऐसे राज्यों में मनरेगा का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। लेकिन जिन राज्यों में सचमुच में गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसका कम से कम उपयोग हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम इसको गरीबों को टारगेट करके पहुंचाने में हम उतने सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको और अधिक परफेक्ट कैसे बनाएं ताकि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या ज्यादा, जिन राज्यों की गरीबी ज्यादा है, यह उस तरफ कैसे जाए? समृद्ध राज्यों की क्षमता है कि इन सारी चीजों को व्यवस्था में करे, हमने उस दिशा में कोशिश की है कि ऐसे राज्यों को यह कैसे पहुंचे। हमने जैम योजना - जन-धन, आधार और मोबाइल, के माध्यम से पैसा डायरेक्ट बेनिफिशरी को मिले, इस दिशा में बड़ा अभियान चलाया है, उसके कारण बिचोलियों की संख्या नष्ट करने में हमें सफलता मिलेगी।

मनरेगा की हम इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन सीएजी ने कहा है कि सात साल के बाद भी पांच राज्य ऐसे थे, जिन्होंने रूल्स भी नहीं बनाए हैं और दुख इस बात का है कि उन पांच राज्यों में चार वह थे, जो इस मनरेगा के गीत गाते हैं। उन्होंने सात साल के बाद भी रूल्स नहीं बनाए थे। ईवन, यूनियन टैरीटरीज़ में भी यह कठिनाई ध्यान में आयी है। उसी प्रकार से आठ राज्यों में चार ब्लॉक...(व्यवधान) प्लीज ऐसा मत कीजिए...(व्यवधान) यह ठीक नहीं है...(व्यवधान) यह अच्छा नहीं है।

<u>13.00 hours</u>

इतना ही नहीं सौ दिन का हमारा लक्ष्य हम कभी भी पूरा नहीं कर पाये। एवरेज 30 दिन 40 दिन से गाड़ी अटक जाती है। हमने जिस प्रकार का उसका नया स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है, उसमें टारगेट्स हो, अधिकतम रोजगार मिले, अधिकतम दिवस तक रोजगार मिले, बिचौलिये समाप्त हों, पाई-पाई का सही उपयोग हो और उसकी ऑडिट की व्यवस्था हो, इस दिशा में हमने भरपूर प्रयास किया है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आज श्रमिकों के बैंक डाकघर खातों में सीधे अंतरण के इलैक्ट्रोनिक तरीके से ये पैसे जाते हैं, 94 परसैन्ट श्रमिकों को इसी माध्यम से भुगतान करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं।

दूसरी तरफ कभी न कभी यह सदन सिर्फ इस ईर्ष्या भाव से काम करने के लिए नहीं है कि मेरे से तेरी शर्ट ज्यादा सफेद क्यों है। यह ईर्ष्या भाव के लिए नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारी जो आलोचना हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है, चिंता इस बात की है कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यह चिंता का विषय सता रहा है

और इसीलिए परेशानी हो रही है। जो साठ साल में नहीं कर पाये, वह आप कैसे कर लेते हो, यह चिंता का विषय है और योजनाएं कैसी होती हैं, लम्बे अरसे तक कैसे लाभ करती हैं। इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास को भी मैं निमंत्रित करता हूं कि दो योजनाओं की एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है। एक अटल जी के समय शुरू हुई प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दूसरी यह हमारी मनरेगा। आप एनालिसिस देखोगे तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, जो कुल मिलाकर गरीबी की श्रेणी में आते हैं। रोड बनता है तो रोजगार भी आता है, रोड बनता है तो सुविधा भी आती है और उसके कारण एजूकेशन, हैल्थ और व्यापार में भी एक बदलाव आया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी भारत सरकार के पैसे गये, मनरेगा में भी गये, लेकिन असैट क्रिएशन हुआ और इसलिए उसमें से सीखकर हम मनरेगा में भी असैट क्रिएशन पर बल दे रहे हैं। उसमें भी पानी पर सबसे ज्यादा हम बल दे रहे हैं और उसका परिणाम मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं और हम कोशिश कर रहे हैं।

हमारे मल्लिकार्जुन जी ने फूड सिक्युरिटी एक्ट को लेकर, मैंने देखा है कि गुजरात की बात आए तो बड़ा ही मजा आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है और फिर कहने को कुछ नहीं होता है तो घूम-फिरकर के...(व्यवधान) यह आपकी बैंक्रप्सी है, मैं जानता हूं कि आपके पास और कुछ है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आप इतने गीत गाते हैं और हमें बार-बार सुनाते हैं कि हम लाये, हम लाये, हम मई, 2014 में आए, अध्यक्ष महोदया, मई, 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों ने हड़बड़ी में उसमें जो अपेक्षाएं थी, ऐसी किसी व्यवस्था की पूर्ति किए बिना कागज पर लिख दिया था कि स्वीकार है। जिस बात को लेकर हम इतनी बातें करते हैं, उसकी यह दुर्दशा थी। इतना ही नहीं आज मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं, तब की मैं बात बताना चाहता हूं कि आज भी कुल आठ राज्य हैं जिनमें से चार राज्य ऐसे हैं, जिनमें आज भी फूड सिक्युरिटी एक्ट का नामो-निशान नहीं है और उसमें आपके द्वारा शासित राज्य हैं - केरल, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : गुजरात का क्या हुआ?

श्री नरेन्द्र मोदी : गुजरात ने अब कर लिया है। ...(व्यवधान) उन्होंने जिन बारीकियों को पूरा किया है, आपको ज़रा स्टडी करने के लिए जाना चाहिए, आप वहां एक पूरी टीम भेजिए। ...(व्यवधान) आप केरल में चुनावों में जा रहे हो, आप तामझाम से बातें कर रहे हो, केरल की जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने जिस एक्ट को ले कर इतनी बड़ी बातें कीं, केरल को उस एक्ट से वंचित क्यों रखा है, अरूणाचल प्रदेश क्यों रखा था, मिज़ोरम क्यों रखा था, मणिपुर क्यों रखा था? आठ राज्य बाकी हैं, उनमें से चार राज्य आपके हैं।

जब प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात आई थी, उस समय वैंकैय्या जी बोल रहे थे, तो हमारे सौगत राय जी खड़े हो गए थे। वैसे वे फटाफट खड़े हो जाते हैं। …(व्यवधान) जब वे खड़े हो जाते हैं तो उनके दल वाले भी देखते हैं कि क्या करेंगे पता नहीं। …(व्यवधान) सौगत राय जी ने कहा कि यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तो सिर्फ 45 जिलों के लिए है। एक जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि यह 01 अप्रैल से देश के सभी गांवों और सभी किसानों के लिए लागू होगी, लेकिन इस योजना की एक और ब्यूटी है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमने यह योजना 45 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ली है। पायलट प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सफलता मिले या न मिले, लोगों को पसंद आए या न आए, अन्य पचास विषय होते हैं। हमने यह कहा है कि क्या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के साथ कोई दो चीजें और इंश्योरेंस में आप जोड़ सकते हैं? उसके लिए हमने किसानों को सात ऑल्टरनेट इन 45 जिलों में एक प्रायोगिक रूप में देने का तय किया है। एक - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी - छात्र सुरक्षा योजना, चौथी - घर अग्नि दुर्घटना बीमा योजना, पांचवी - कृषि सयंत्र पंपसैट बीमा योजना, छठवीं - ट्रैक्टर बीमा योजना, सातवीं - मोटर बाइक बीमा योजना। ये किसान के साथ जुड़ी हुई सात चीजें हैं। अगर उसको फसल बीमा योजना के साथ कोई दो चीज़ें लेना सूट करता है तो कम प्रीमियम में उसको एक अतिरिक्त बैनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसके पंप खराब हो जाते हैं, इसलिए प्रायोगिक रूप से यह करना है। इंश्योरेंस कंपनियों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने बड़ा आग्रह किया है। यह एक प्रयोग है। मैं सांसदो से भी आग्रह करूंगा कि इस पर वे ज़रा तराशें, अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे तो यह ट्रायल की तर्ज पर था, वह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से नहीं था। कभी-कभी कहा जाता है कि यह तो हमारा कार्यक्रम था। अब मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि रेल मैंने शुरू की। …(व्यवधान) आप कह सकते हैं। आप तो कुछ भी कह सकते हैं। …(व्यवधान) हम में वह हिम्मत नहीं है। …(व्यवधान) इसलिए यूपीए के दस साल रेलवे, सुरेश जी यहीं हैं, औसत सालाना खर्च रेलवे के विकास के लिए 9291 हज़ार करोड़ रूपये। हमारे दो साल में 32,587 करोड़ रूपये, प्रति वर्ष औसत लाइनों की कमीशनिंग, हमने लाइनें कितनी बिछाई हैं, यूपीए-1 का एवरेज है 1477 किलोमीटर। यूपीए-2 मे थोड़ा सुधार हुआ, एवरेज है 1520 किलोमीटर। एनडीए का एवरेज है 2292 किलोमीटर राउंड-अबाउट 2300 किलोमीटर है। काम कैसे होता है, गति कैसे लाई जा सकती है, एक परफार्म करने वाली सरकार कैसी होती है, संसाधन यही थे, रेल की पटरियाँ वही थीं, डिपार्टमेंट वही थे, मुलाजिम वही थे, कानून व्यवस्थाएं वही थीं, यह जीता जागता उदाहरण है और मैं हर क्षेत्र में यह दिखा सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सन्दर्भ में और अधिक न कहते हुए मैंने यह कहा है कि…(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, you have to name him. What is this?… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : भूरिया जी, ज्यादा मत बोलिए, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मैं आपके क्षेत्र की हूँ।

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, एक बात हमेशा ही चर्चा में रहती है, फाइनेंस के सम्बन्ध में, वह यह रहती है कि राज्यों को पैसा कम कर दिया, आदि-आदि। यह ऐसी पवित्र जगह है कि मुझे देश के सामने चीजें रखना बहुत जरूरी लगता है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद वर्ष 2015-16 से राज्यों को वर्ष 2014-15 की तुलना में केन्द्र से अधिक वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं। राज्यों को वित्तीय संसाधन तीन मुख्य हैडिंग के अन्तर्गत दिए जाते हैं। केन्द्रीय करों में सरकार का हिस्सा, नॉन प्लान ग्रांट्स एवं राज्यों के प्लान के लिए केन्द्र की सहायता। केन्द्र से राज्य सरकारों को वर्ष 2014-15 में कुल 6 लाख 78 हजार 819 करोड़ रूपए की राशि दी गई थी। रिवाइज्ड एस्टिमेट वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्यों को 8 लाख, 20 हजार, 133 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। वर्ष 2015-16 की राशि वर्ष 2014-15 की राशि से एक लाख 41 हजार, 314 करोड़ रूपए ज्यादा है। इन तीनों हैडिंग के अन्तर्गत मिल रही राशि पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 परसेंट ज्यादा है। इसलिए यह जो बिना कारण, हकीकतों को न कहते हुए बिना कारण चीजें चलाने की जो कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ कि उसको जरा समझने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से हमारा देश लोकतंत्र पर विश्वास करने वाला देश रहा है, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध देश रहा है। हम जानते हैं कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग आन्सरेबल हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछने का उसका हक है, लेकिन कुछ हैं जो जवाबदेह नहीं हैं, न ही कोई उनसे पूछने की हिम्मत करता है, न ही उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है। जो वह करने जाते हैं, उनका क्या हाल होता है, वह मैं देख चुका हूँ। मैं घटना का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ, अर्थ आप लोग लगाइए। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान् खुश्चेव, जब स्तालिन की मृत्यु हो गई, वे उनके साथी थे, तो स्तालिन की मृत्यु के बाद ये खुश्चेव जहाँ जाते थे, वहाँ स्तालिन की बड़ी आलोचना करते थे। बहुत ही कठोर शब्दों में निन्दा करते थे, कुछ भी कहते थे। ऐसा वे हर जगह पर करते थे। एक बार एक सभागृह में

* Not recorded.

क्रुश्चेव अपनी बात बता रहे थे और स्तालिन को, अपने पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत कोसा। एक नौजवान पीछे से खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मिस्टर क्रुश्चेव, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वे बोले कि आप स्तालिन को इतनी गालियाँ दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, जब वे ज़िन्दा थे तब आप उनके साथ काम करते थे। तब आपने क्या किया? यह जो हालत पैदा हुई है, आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। जब सभागृह में सन्नाटा छा गया और कुछ पल के बाद क्रुश्चेव ने कहा, जिसने सवाल खड़ा किया है, वह ज़रा खड़े हो जाओ। वह खड़े हो गए। उन्होंने कहा - तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्तालिन के ज़माने में मैं चाहता था, लेकिन नहीं कर पाता था। ...(व्यवधान) इसको समझने में देर लगेगी लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। हमारे यहाँ कभी कभी शास्त्रों में, लोकोक्तियों में कई बातें बड़ी अच्छी कही जाती हैं और उसमें कहा गया है - 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।' दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं लगातार आप सबके द्वारा उपदेश सुनता रहा हूँ, सलाह सुनता रहा हूँ, आलोचना झेलता रहा हूँ। आलोचनाओं से ज्यादा आरोप सह रहा हूँ। यह सब चल रहा है और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम में मैं इससे जीना सीख चुका हूँ। लेकिन यह देश उस बात को कभी नहीं भुला सकता है, 27 सितम्बर, 2013, जब हमारे देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बाइलेट्रल टॉक होना था। देश के सम्माननीय नेता थे। हिन्दुस्तान की कैबिनेट, जिसमें फारूख अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गण्यमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे, उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितम्बर, 2013 को पत्रकार परिषद् में फाड़ दिया गया था, ऑर्डिनैन्स को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान-सम्मान, आदर मैं बहुत ...(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह और हम दो छोर पर खड़े नेता हैं। मेरी एक बात को वे नहीं स्वीकार सकते, मैं उनकी एक बात को नहीं स्वीकार सकता एक्सैप्ट लोहिया जी के विचार। क्योंकि मैं ऐसी जगह पर पैदा हुआ हूँ, मुझे लोहिया जी पसंद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जनता को वादे करते हुए अपना एक पर्चा निकाला हुआ था कि हम उत्तर प्रदेश के लिए यह करेंगे, वह करेंगे। मुलायम सिंह जी हमें पसंद हों या न हों, लेकिन बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सार्वजनिक सभा में मुलायम सिंह जी के विचारों को फाड़ दिया जाए और फिर मुझे बार बार याद आता है - 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।' ...(व्यवधान)

महोदया, देश, लोकतंत्र में आगे बढ़ने के लिए जितनी हमारे सामने आवश्यकता मुझे लगती है, मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं, वह शायद हम सबको पसंद आएगी। मैं छोटा था। मैं जिस गांव में बड़ा हुआ, हमारे यहां एक एमएलए थे, वे कभी हारते ही नहीं थे, हमेशा जीतते थे। वे ट्रेन में जाते थे तो हम भी कोशिश करते थे कि उनको चाय पिलाएं, वरना कोई मुसीबत आ जाए रेलवे में, तो हम उनको संभालते थे। उनसे कभी मैंने एक बार शब्द सुना एलेक्यू। हमें एलेक्यू क्या होता है, समझ नहीं था। लेकिन जब आगे दिन बीतते गए तो पता चला कि एलेक्यू अलग वह था। मैं देख रहा था कि कोई एलेक्यू आया तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी कांप जाती थी। नीचे से ऊपर तक अफसर परेशान रहते हैं, क्योंकि असेंबली में या संसद में सवाल आ गया। एक घबराहट का माहौल था। सदन में भी कभी किसी सब्जेक्ट की डिबेट होती थी तो अफसरों को चिंता रहती थी कि पता नहीं क्या होगा? हमारे लोकतंत्र में और संसदीय कार्यवाही को हम कहां ले गए कि आज न हमारे सांसदों के सवालों से प्रशासन के किसी भी अफसर को पसीना आता हो, चिंता नहीं करते, हम हमारी इस कार्यवाही को कहां ले गए कि हमारे अफसरों को कोई डर नहीं रहा? यह सवाल इस सरकार या उस सरकार का नहीं है। कालक्रम से यह डिटीरिओरेशन हुआ है। संसद के अंदर भले ही प्रतिपक्ष में एक ही अकेला सांसद क्यों न हो, उसके दल का और कोई भी सदस्य न हो, लेकिन सरकारी मुलाजिमों के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए वह प्रधानमंत्री से कम नहीं हो सकता है। आज मैं चाहता हूं कि हम लोग तय करें, तू-तू, मैं-मैं हम करेंगे, आप मुझे कोसोगे, मैं आपको कोसूंगा और अफसर ताली बजाते हैं। यह लंबे अर्से की बीमारी आई है। इस सदन में विपक्ष का शब्द ही उनके लिए महत्वपूर्ण हो। ये जनप्रतिनिधि हैं, ये देश के लोग हैं। यह स्थिति लानी है। यह जो हम तू-तू, मैं-मैं करके स्कोरिंग करते हैं, मीडिया में छा जाते हैं, हमें लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अफसरशाही की एकाउंटिबिलिटी खत्म होती जा रही है। लोकतंत्र में तो हम हर पांच साल में जनता को हिसाब देंगे, आएंगे, नहीं आएंगे चलता रहेगा, लेकिन उनका हिसाब लेने के लिए यही एक जगह है। इसलिए हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में हम सभी को, सभी सदस्यों को, एक क्यों न हो, वह प्रधानमंत्री से कम नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि एग्जीक्यूटिव की एकाउंटिबिलिटी कैसे हम बढ़ाएं? यह जब तक हम मिलकर नहीं करेंगे, यह एकाउंटिबिलिटी संभव नहीं होगी। तब एक सरकार को गालियां पड़ेंगी, दूसरी सरकार आएगी, उनका मजा लेना बंद नहीं होगा। हमारे सामने यह चुनौती है, मैं इसे मानता हूं। इस चुनौती को पूरा करने की दिशा में हमें एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। इसमें आपको भी यह भुगतना पड़ा है, मैं तो लंबे समय तक यह काम करके आया हूं, तो मुझे मालूम है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। लेकिन अखबार में क्या छपेगा, उसकी चिंता में तू-तू, मैं-मैं में लगे रहते हैं, उसके कारण लाखों मुलाजिम हैं, अरबों-खरबों रूपयों की

तनख्वाह जा रही है। योजनाओं की कमी नहीं है। न आपके समय कमी थी, न मेरे समय कमी है। सवाल यह है कि हम एकाउंटिबिलिटी को कैसे लाएं? इस सदन में ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : आप रोहित वेमुला के बारे में बोलिए। ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : एक और बात है कि भारत जैसे लोकतंत्र में हम देश के नागरिकों को अफसरशाही के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें अपने सवा सौ करोड़ देशवासियों पर भरोसा करना होगा। उन पर हमें विश्वास करना होगा। अगर हम एक बार सवा सौ करोड़ देशवासियों पर विश्वास करके चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि देश के नागरिक हमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, वे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमने उस दिशा में कुछ प्रयास किये हैं। वे बहुत बड़े हैं, ऐसा मेरा दावा नहीं है। लेकिन, उस दिशा में जाना है। हमने छोटे मुलाज़िमों के लिए इंटरव्यू क्यों बंद किया, इसलिए कि हमें उन नागरिकों पर भरोसा करना सिखना होगा। जेरॉक्स के जमाने में भी गजेटेड ऑफिसर के पास सिग्नेचर के लिए जाना और कभी एम.पी. और एम.एल.ए. के घर के पास कतार लगा कर उन्हें खड़ा रहना पड़ता था। एम.पी. और एम.एल.ए. उनका चेहरा भी नहीं देखते थे, एक छोटा-सा लड़का सभी के पेपर्स पर मुहर लगा कर दे दे रहा था, हमें दसवीं और बारहवीं के बच्चों के ऊपर तो भरोसा था, लेकिन उन नागरिकों पर हमारा भरोसा नहीं था, हमने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि नागरिक पर भरोसा होना चाहिए, जब वे फाइनल जॉब लेंगे तो अपने सटिफिकेट्स दिखायेंगे।

हमने बजट में बहुत बढ़िया बात रखी है कि दो करोड़ रुपये तक हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप जो चाहे हमें दे दें, हम उसे ले लेंगे। विश्वास बढ़ाने का माहौल बनाना है। ऐसे नये सुझाव हैं तो आप हमें जरूर दीजिए, मैं चाहूंगा कि सरकार आदत डाले। इस सरकार को भी सुधरना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आना चाहिए और यह आपकी मदद के बिना नहीं आयेगा। मुझे आपकी मदद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं, आइए कंधे से कंधा मिला कर हम चलें और देश के लिए कुछ अच्छा करके, देश को कुछ दे कर जायें। सरकारें आयेंगी और जायेंगी, लोग आयेंगे और जायेंगे, बिगड़ती-बनती बातें चलेंगी, लेकिन यह देश अजर-अमर है, देश सदा रहने वाला है। इस देश की पूर्ति के लिए हम काम करें। इसी अपेक्षा के साथ फिर एक बार मैं राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।